APPOINTMENT OF SEPARATE COMMISSIONER FOR RURAL LABOUR

5333. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Gujarat State has appointed a separate Commissioner for Rural Labour and also created Rural Welfare Board;

(b) whether similar set ups are also proposed to be created in other States and Union Territories; and

(c) if so, the steps taken by Government to ensure that those are manned by suitably qualified and motivated person ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) Yes, Sir.

(b) No other State/U.T. have reported creating such set ups.

(c) Does not arise in view of (b).

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

5334. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कृषि श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; ;

(ङ) क्या अखिल भारतीय कृषि मजदूर यूनियन ने देश भर में कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करवाने के लिए आन्दोलन करने का एलान किया है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपने संगत क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं ।

जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, केन्द्रीय सरकार भिन्न-भिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले कृषि फार्मों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का एक सीमित सीमा तक ही निर्धारण तथा संशोधन करने के लिए समुचित सरकार है । इस क्षेत्र में नियोजित कर्मकारों के लिए 12-8-1992 को केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछली बार संशोधित न्यूनतम मजदूरी निम्नानुसार है :—

न्यूनतम मजदूरी

श्रेणी	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
	रु०	रु०	रु०
अकुशल	33.00	28.00	26.00
अर्धकुशल	41.00	35.00	29.00
कुशल	48.00	41.00	34.00
अत्यधिक कुशल	58.00	50.00	41.00

केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषि-कर्मकारों को छोड़कर, राज्य सरकारें अधिकांश कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं । न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वाले अकुशल श्रेणी के कृषि कर्मकारों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर के बारे में उपलब्ध सूचना दर्शानेवाला विवरण संलग्न है (नीचे **देखिए**) ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों का प्रवर्तन करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत सभी समुचित सरकारों ने प्रवर्त्तन तंत्र गठित किए हैं । प्रवर्त्तन तंत्र नियमित निरीक्षण करते हैं और जब कभी भी अधिनियम के उल्लंघन की बात उनके ध्यान में आती है तो आवश्यक कार्रवाई करते हैं ।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय कृषि कर्मकार संघ द्वारा सारे देश में कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित किए जाने के लिए आन्दोलन आरम्भ किए जाने संबंधी घोषणा की सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.80 रु० से 23.40 रु० प्रति दिन (जोन के अनुसार)
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00 रु० से 21.00 रु० प्रति दिन (क्षेत्र के अनुसार)
3.	असम	1134.00 रु० प्रति माह या 984.00 रु० प्रति माह साथ में भोजन, आवास और कपड़ा
4.	बिहार	21.00रु० प्रति दिन
5.	गोवा	27.50 रु० प्रति दिन
6.	गुजरात	15.00 रु० प्रति दिन
7.	हरियाणा	36.77 रु० खाना सहित या 40.77 रु० खाना रहित
8.	हिमाचल प्रदेश	22.00 रु० प्रति दिन
9.	जम्मू और कश्मीर	15.00 रु० प्रति दिन
10.	कर्नाटक	12.00 से 17.65 रु० प्रति दिन
11.	केरल	30.00 रु० से 40.20 रु० प्रति दिन
12.	मध्य प्रदेश	28.17 रु० प्रति दिन
13.	महाराष्ट्र	12.00 रु० से 20.00 रु० प्रति दिन (जोन के अनुसार)

1	2	3
14.	मणिपुर	26.70 रु० प्रति दिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 23.70 रु० प्रति दिन पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए
15.	मेघालय	35.00 रु० प्रति दिन
16.	मिजोरम	28.00 रु० प्रति दिन
17.	नागालण्ड	25.00 रु० प्रति दिन
18.	उड़ीसा	25.00 रु० प्रति दिन
19.	पंजाब	40.12 रु० बिना खाने के या 36.12 रु० खाना सहित
20.	राजस्थान	22.00 रु० प्रति दिन
21.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	20.00 रु० प्रति दिन
23.	त्रिपुरा	23.65 रु० प्रति दिन
24.	उत्तर प्रदेश	23.00 रु० प्रति दिन से 25.00 रु० प्रति दिन
25.	पश्चिम बंगाल	32.72 रु० प्रति दिन 29.52 रु० प्रति दिन साथ में दो मुख्य भोजन
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	27.00 रु० प्रति दिन (अण्डमान) 28.00 रु० प्रति दिन (निकोबार)
27.	चण्डीगढ़	36.23 रु० प्रति दिन खाना सहित या 40.23 रु० प्रति दिन बिना खाना
28.	दादरा और नागर हवेली	20.00 रु० प्रति दिन
29.	दिल्ली	53.15 रु० प्रति दिन
30.	दमन और दीव	22.00 रु० प्रति दिन
31.	लक्षद्वीप	30.00 रु० प्रति दिन
32.	पांडिचेरी	
	(1) पांडिचेरी क्षेत्र	14.00 रु० प्रति दिन
	(2) माहे क्षेत्र	12.00 रु० प्रति दिन हल्के कार्य के लिए 15.00 रु० प्रति दिन कठिन कार्य के लिए
	(3) यमन क्षेत्र	11.00 रु० प्रति दिन
	(4) कराईकल	14.00 रु० प्रति दिन या 7 लीटर धान के साथ 4.90 रु० प्रति दिन